

30/5/22

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील ने
विज्ञापित के नोटिफ रजि में
तामिल हुआ जफ्त हुए। जिसे शामिल
रिक्त जाता हो पत्रावली वाले जगब के
आदिवा विनांक 18/5/22 को पेश को

संयुक्त प्रमुख

18/5/22

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील उपर
पत्रावली वाले जगब के मजिस्ट्रेट अल्टर रिफ
पाठ तथा स्थान माफिश की भगदी आगामी
देखी तारीख तक वारी पाठ आदिवा विनांक
06/09/22 को पेश को

06/09/22

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील मजिस्ट्रेट आर्ची स्वयं उपर
आर्ची वकील ने आर्चना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अ अच
विहो करने जगब पेश कर निवेदन किया कि उक्त
अनवान उचरण में हम पत्रकारों के मध्य लोक
अदालत की भावना से वादग्रस्त आराजी में आपकी
शक्ति को राजीनामा हो गया है। उक्त आराजी
का विवाद नहीं रहे से आर्चना पत्र में हम कोई
आर्चना नहीं करते हैं। अतः उक्त अनवान का
उत्तरण जोर में राजीनामा विहो फरमाया जावे।
आर्ची वकील द्वारा उक्त आर्चना पत्र को न्यायहित में

राज्यपाल
संयुक्त प्रमुख
(संयुक्त प्रमुख)

स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के उत्तरण को जोर में राजीनामा
विहो फरमाया जाता है। पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी न्यायन आदेश
दिनांक 31/12/22 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली कुमल कुमार होत्र
द्वारा पेश है। मूलवाद के सिलसिले में